कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थाना/विविध/2021 दिनांक 06.02.2021 द्वारा ओमप्रकाश, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसगन जिला अलवर का स्थानान्तरण राउमावि बांसखेडी मेवातियान जिला झालावाड़ किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री ओमप्रकाश द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1199/2021 ओमप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 1199/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.02.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम स्थगनादेश की अनुपालना में श्री ओमप्रकाश, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसगन जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन कार्यरत रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री घनश्याम दत्त का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर, माननीय अधिकरण के निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसखेडी मेवातियान (224540) जिला झालावाड़ किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/ओमप्रकाश/1199/2021/226 दिनांकः 12.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/झालावाड़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/झालावाड़।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)